बीस वर्ष
की
काली रात

(संक्षिप्त)

लेखक : कार्तिक उरांव
संसद सदस्य (लोक सभा)

मूल्य १ रु०

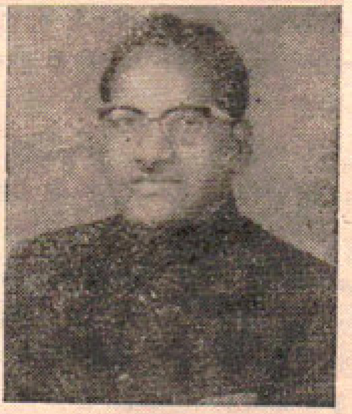

"अगर आदिवासियों को जीवित रखना है,
तो उनकी संस्कृति, सभ्यता, परम्परा एवं
आदि धर्म को जीवित रखना होगा।"

—कार्तिक उरांव

भूमिका

मैं आदिवासियों के प्रति होते उन अन्यायों की ओर भारत वासियों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं जो अगर किसी और पर होता तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते।

भारत ने अनेक परिवर्तन देखा है और परिवर्तन का कार्य तो जारी ही है किन्तु आदि वासियों के जीवन में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन इतना ही हुआ कि जो उनके पास था वह भी खोया और पाया कुछ नहीं। मैं इसका दोष किसी और को देना नहीं चाहता, किन्तु आदि-वासी खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार को मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने न्याय नहीं किया किन्तु न्याय तो किसी को दिया नहीं जाता, वह तो लिया जाता है। हमने लिया ही नहीं।

मैं एक आदिवासी हूं और आदिवासियों की आंखों से ही मैंने निकट देखा कि शोषण भी हो तो क्या ऐसा जो सरकार को पता है और देश की सारी जनता को; फिर भी उनके कान में जूं तक नहीं रेंगे। यह सच्च है कि जिसे आंखें नहीं देख सकती उसके लिए दिल में पीड़ा भी नहीं हो सकती। मैंने चार वर्ष के संसदीय जीवन में गत बीस वर्षों तक जो आदि-वासियों के साथ घोर अन्याय हुआ आपके सामने रखने की धृष्ठता कर रहा हूं। आदिवासियों और हरिजनों के कल्याण हेतु करोड़ों रुपये खर्च हुए फिर भी पहले से ज्यादा सुखी नहीं ज्यादा दुःखी है। हरिजनों के बीच में बड़े-बड़े नेता हुए हैं, जैसे स्व० डा० भीमराव अम्बेदकर, श्री जगजीवन राम आदि और उन्होंने हरिजनों के विकास में जो भी बाधायें आयीं उन सभी को दूर किया। भारतीय मंत्री मंडल में रहकर उनकी आवाज को बुलन्द किया और उनमें आशा का संचार किया। सरकार का भी ध्यान बराबर रहा कि

हरिजनों, मुसलमानों, सिक्खों एवं ईसाइयों का प्रतिनिधित्व भारतीय मंत्रिमंडल में पर्याप्त और उचित रहे, लेकिन आदिवासियों के लिए उनमें औचित्य और मानवता नहीं जगी। यह खेद का विषय है और बीस वर्षों का भारतीय इतिहास इसका साक्षी है। भारत के जंगलों से कराहती आवाज को आज़ाद भारत नहीं पहचान सका। अब सवाल है वे रहें अथवा सदा के लिए विलीन हो जायें। अभी आदिवासी चौराहे पर हैं। मुड़ें तो किधर ? जिधर भी मुड़ें एक लम्बे अरसे तक उनका शोषण तो होता रहा और नुकसान भी काफी हुआ जिसे मैं विस्तार पूर्वक इस छोटी सी पुस्तिका में अंकित नहीं कर सकता फिर भी आप में अगर आदिवासी हों तो चेतना आवे और गैर आदिवासी हों तो आपमें मानवता जगे। मेरी यही कोशिश है।

आज भारत के शानदार नागरिकों की परीक्षा का समय है। मैं सरकार की आलोचना भी करना नहीं चाहता हूं। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि आदिवासियों के प्रति असंवैधानिक शोषण जो हो रहे हैं उन्हें सभी प्रबुद्ध एवं देश का कल्याण चाहने वाले भारतीय जानें कि आदिवासी किन किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं उस पर उनकी निगाह जाये।

पाठकों की सुविधा के लिए मैंने भारतीय आदिवासियों की परिस्थिति का चित्रण तीन हिस्सों में किया है, वे हैं :

(१) आदिवासी कल अथवा १९५० के पूर्व

(२) आदिवासी आज अथवा १९५० के बाद

(३) आदिवासी कल अथवा १९७० के बाद

मेरी यही आशा है कि इससे पहले की आदिवासियों की परिस्थिति, और बुरी नहीं, हो उनकी संस्कृति सभ्यता, परम्परा और धर्म लोप न हो और न भारत की धर्मनिर्पेक्षता की विडंबना हो, भारत के नागरिकों एवं भारत के हर आदिवासियों को अपना संदेश पहुँचा देना चाहूंगा न्याय और अन्याय तो भारत सरकार की नीति एवं नियत पर निर्भर करता है, और आदिवासी गाढ़ी निद्रा से कब जगें।

पहला अध्याय

कल की जनजाति

१.१ जनजाति और उनका धर्म :

मैं अचंभित हूं कि आदिवासी कल्याण के महान् पंडित जैसे डा० वेरियर एलविन, श्री यू०एन० ढेबर एवं श्री लक्ष्मीदास श्री कान्त, जो अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के आयुक्त रहे हैं उन्होंने लिखा है कि संविधान में जन जातियों की परिभाषा कहीं दी नहीं गई है। वह ऐसा इस लिए हुआ कि भारत की राजनीति की हवा में बहते रहे अपनी अन्तात्मा की प्रेरणा से तो काम नहीं लिया। आदिवासी कल्याण के मौलिक सिद्धान्त को ही उन्होंने त्याग कर किया तो परिभाषा मिले तो कैसे ?

१९११ की जनगणना रिपोर्ट में अच्छी तरह विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि जनजाति कौन है और उसका धर्म क्या है ? उसमें यह कहा गया है "Animism" उनका विश्वास है और धर्म भी और दुनियां में आदिवासियों के बीच होते सभी प्रकार के अंध विश्वासों पर आधारित है उनका धार्मिक विश्वास कुछ अस्पष्ट है लेकिन सभी जंगलों, पहाड़ों, कुंओं और नदियों में वास करने वाले देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। वे जादू टोना पर विश्वास करते हैं और आदि देवी देवताओं पर बकरी एवं मुर्गों आदि की भी बलि चढ़ाते हैं। खेती अच्छी हो इसके लिए भी देवी देवताओं की पूजा होती है। संक्षिप्त में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे उस धर्म को मानते हैं जो भारत में हिन्दू धर्म के पहले थे।

१.२ भारत सरकार के अधिनियम १९३५

इस अधिनियम के अनुसार भारत के संयुक्त विधान सभा में निम्न लिखित समुदायों के लिए स्थान रखे जाते थे :

(१) (क) सिक्ख

(ख) मुसलमान

(ग) एंग्लो-इंडियन

(घ) यूरोपीय

(ङ भारतीय ईसाई

(च) उद्योग और व्यापार सम्बन्धित

(छ) जमींदार

(ज) श्रम सम्बन्धित

(२) अनुसूचित जातियों के लिए भी सुरक्षित स्थान थे :

(३) पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े 'जन जातियों' के लिए भी सुरक्षित स्थान थे

(४) मैं वर्णित केवल भारतीय ईसाई की ही परिभाषा पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

'भारतीय ईसाई वे हैं जो किसी प्रकार के ईसाई धर्म को मानते हैं और जो एंग्लो-इंडियन या यूरोपीय नहीं हैं।"

जन जातीय ईसाई न तो एंग्लो-इंडियन हैं और न तो यूरोपीय हैं और वे भी भारतीय ईसाई निर्वाचन क्षेत्र से भारत के विधान सभाओं में १९५२ तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

इस सम्बन्ध में हम कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहते हैं जिससे कि आप सच्ची बातों को समझ सकें तथा ठीक ठीक निर्णय कर सकें —

जन जातियों की गिनती निम्नलिखित रूप में हुई है —

(क) "अध्यात्मवादी" जनगणना रिपोर्ट, १९११ द्वारा।

(ख) "आदिम जन जाति" जनगणना रिपोर्ट, १९३१ द्वारा।

(ग) "पिछड़ी जन जाति" भारत सरकार अधिनियम, १९३५ द्वारा।

(ग) "अनुसूचित जाति" कुछ राज्यों में, भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, १९३६ द्वारा।

(ङ) "पिछड़ी जन जाति" भारत स्वाधीनता अधिनियम, १९४७ द्वारा।

(च) "अनुसूचित जन जाति" भारत संविधान, १९५० द्वारा।

१९११ की जनगणना में आदिवासियों का धर्म या विश्वास (Animism) अध्यात्मवादी था और वही १९३१ में Tribal (आदिम)। जन जाति को छोड़ कर जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया उसकी गिनती बराबर से भारतीय ईसाइयों में होती रही है और उसने विशेषाधिकारों का भी फायदा उठाया तथा १९५२ तक भारतीय क्रिश्चियन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

१.३ संविधान सभा द्वारा अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण :

सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में अल्प संख्यक अधिकार पर गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को २७ अगस्त, १९४७ को पेश की थी जिस में अल्प संख्यकों को तीन ग्रुपों में वर्गीकरण किया गया था (समिति की रिपोर्ट १९४७ पृष्ठ ३१)

ग्रुप 'क'— १. एंगलोइंडियन्स।
२. पारसी
३. असम के मैदानी भाग की जन जातियाँ

ग्रुप 'ख'— ४. इंडियन क्रिश्चन्स
५. सिक्ख

ग्रुप 'ग'— ६. मुस्लिम
७. अनुसूचित जाति

बहुत तर्क वितर्क के बाद भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों ने आजाद भारत में सुरक्षा का हक छोड़ दिया क्यों कि वे भारत के नवनिर्माण में बाधक नहीं होना चाहते थे। एक ऐसा भी अवसर आया जब हरिजनों को भी सुरक्षा की सुविधा नहीं देने की थी। किन्तु जैसे आगे मैंने कहा हरिजनों में बड़े बड़े नेता थे उन्होंने सम्हाल लिया और अच्छी तरह से।

डा० भीम राव अम्बेदकर ने कहा,

"मैं जानता हूं कि मुसलमान लोगों को १८६२ ई० से सुरक्षा की सुविधा मिलती रही है और करीब करीब ६० वर्षों तक सुविधाएं लेते रहे। ईसाइयों को १६२० के संविधान में सुविधा शुरु हुई और उन लोगों ने २८ वर्षों तक सुविधाओं का उपयोग किया। हरिजनों को १६३५ से कुछ सुविधाएँ मिल रही हैं और वह भी थोड़े वर्षों के लिये अतः हरिजनों की सुविधा जारी रहनी चाहिये।

ठक्कर बापा के इस प्रश्न पर कि उन आदिवासियों के लिये क्या करने जा रहे हैं जो सबसे पिछड़े हैं डा० अम्बेदकर ने कहा, "मैं अनुसूचित जन जातियों के लिये तो और अधिक समय की सुरक्षा देने के लिए तैयार हूं।" इस के पहले अनुसूचित जन-जाति नाम की कोई चीज नहीं थी। सर्व प्रथम १६५० में अनुसूचित जन-जातियां सुरक्षा और सुविधा के लिये आजाद भारत के मान चित्र में आयीं। सलाहकार समिति (संविधान सभा) ने अपनी ११ मई १६४६ की बैठक में १ मत के मुकाबले में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था :—

'अनुसूचित जाति को छोड़ कर अल्प संख्यकों के लिये विधान मंडलों में आरक्षण की प्रथा खत्म हो।"

दूसरा अध्याय

आज की जनजाति

२.१. संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम १६५० धारा ३४१ के अनुसार संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा इस प्रकार है :—

"ऐसी जातियां कुटुम्ब अथवा जन-जातियां या ऐसी जातियां कुटुम्बों या जन-जातियों के कुछ भाग अथवा गिरोह।"

अनुसूचित जातियों की परिभाषा १९३५ ई० से ही आ रही है और उन्होंने सदा से यही दावा किया कि अनुसूचित जातियों में हिन्दू धर्म मानने वाली जातियां ही रहेंगी। अतः संविधान में उल्लिखित हैं :—

"कंडिका २ के निहित कोई भी बात क्यों न हो, जो हिन्दू धर्म को छोड़ कर अन्य किसी धर्म को मानता हो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जायगा।"

२·२. संविधान (अनुसूचित जन जाति) अधिनियम १९५० धारा ३४२ के अनुसार अनुसूचित जन जाति की परिभाषा इस प्रकार है :—

"जन जाति अथवा जन जाति समुदायों के कुछ भाग अथवा गिरोह" अनुसूचित जन जातियों के सम्बन्ध में जन जातियों का धर्म १९३१ जनगणना के आधार पर आदि धर्म ही माना गया और जो भारत के स्वीकृत किसी धर्म के अन्दर नहीं आता है अतः ३४२ धारा के अंतर्गत आदि धर्म का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा गया। जन जाति शब्द से ही आदि धर्म का बोध होता है।

२-३. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम १९५६ इस बात को निर्धारित करने के लिये कि अमुक्त जाति अनुसूचित जाति में है अथवा नही (चाहे धर्म के ही आधार पर क्यों न हो), यह परखना जरुरी है कि राष्ट्रपति के आदेश में वह जाति अनुसूचित जाति में घोषित है अथवा नहीं।

किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में आने के लिये सबूत पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है राष्ट्रपति आदेश के बाद और कोई शक्ति नहीं है जो किसी जाति को अनुसूचित घोषित करे। यह अधिकार केवल संसद को है कि वह राष्ट्रपति के आदेश की आम विज्ञप्ति पर संशोधन लावे। जब सिक्खों को अनुसूचित जाति में परिगणित करने की बात आयी तो वह केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५६ के द्वारा ही संभव हो सका।

इस तरह से कोई संशोधन विधेयक नहीं है जिस के द्वारा भारतीय ईसाइयों को अनुसूचित जन जाति में परिगणित किया गया हो। अतः ईसाइयों को अनुसूचित जन जातियों में परिगणित कर उन्हें सारी सुविधाएं देना असंवैधानिक है।

यह भी पता है बहुत से जन जातियाँ हैं जो अनुसूचित नहीं हैं। उदाहरण स्वरुप असम के चाय बगान के मजदूर एव विदर्भ के जन जाति हैं और इस लिये यह मान कर चलना कि सभी जन जातियां अनुसूचित जन जातियां हैं गलत है और भारतीय ईसाइयों का अपने को अनुसूचित जाति मान लेना तो सर्वथा गलत है।

डा० भीम राव अम्बेदकर ने भी बासु की संविधान की किताब में यहां तक कहा है कि पिछड़े वर्ग में केवल अनुसूचित जाति एवं जन जातियां ही हैं, अल्प संख्यक नहीं। भारतीय ईसाइयों को तो अल्प संख्यक के आधार की सुविधाएं मिलती हैं। फिर एक ही समुदाय अनुसूचित जन जाति एवं अल्प संख्यक दोनों के आधार पर सुविधाएं ले, यह तो बहुत बुरी बात है और अन्याय है अनुसूचित जन जातियों के प्रति।

२.४. भारत सरकार अधिनियम तथा आदेश १९५० अनुसूचित जन जातियों के लिये विशेष विवरणों को स्पष्ट करते हैं।

डा० एच० एन० कुंजरू तथा अन्य २५ संसद सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को १७ दिसम्बर १९५० को दिये गये ज्ञापन काभारत सरकार द्वारा १५ फरवरी, १९५१ को दिया गया उत्तर :—

(क) "१३/१ श्रेणी—सम्पूर्ण भारत में १९३१ की जन गणना के साथ साथ की गई एक विशेष जांच के आधार पर जन-जाति में वर्णित होने वाली जाति-समुदाय जातियों के रूप में कही जाने वाली जातियों से बिल्कुल भिन्न हैं और पहले "आदिम जाति" कहलाने वाली जातियां सूचित है। सिद्धान्त यह अपनाया गया है कि जिस

जन-जाति को इस सूचि में स्थान न मिल पाया है उसे अब 'अनुसूचित जन-जाति' में सम्मिलित न किया जाय। यह तब ही किया जायगा जब संबंधित राज्य सरकारें यह प्रमाण-पत्र देंगी कि नाम गलती से छूट गया था और यह जाति सिर्फ जन जाति ही नहीं है बल्कि आदिम या पिछड़ी जन-जाति है।"

(ख) १४/१ श्रेणी—छोड़ देना—सरकार इसे आवश्यक समझती है कि जातियां जिनका वर्गीकरण १६३१ में आदिम जन जाति' में नहीं हुआ और उस आधार पर कोई विशेष राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसे पहली बार 'अनुसूचित जन जातियों' का प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिये। "यही सच्चे अर्थ में मान्य भी है।"

२-५ कंडिका २.४ (क) के संदर्भ में राज्य सरकारों के निम्नलिखित विचार देखें :—

(१) उड़ीसा सरकार को १६५० की एक अधिसूचना :—
"अनुसूचित जनजाति" का कोई व्यक्ति जो जन जाति-धर्म को नहीं मानता हो जन जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा, बल्कि वह अन्य पिछड़े वर्गों का एक सदस्य समझा जायगा।"

(२) बिहार सरकार की नीति :—

उड़ीसा के श्री गुरुतर मुन्डु की पत्र संख्या ४८५२/५०-५४ दिनांक १० जून, १६५० के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय के सचिव ने लिखा :— प्रधान मंत्री को लिखे गये आपकी पत्र संख्या १० दिनांक २६ मई, १६५० के निर्देश में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि आपके द्वारा पत्र में उल्लिखित नाम क्रिश्चियन जान पड़ते हैं। बिहार की राज्य सरकार क्रिश्चियन अनुसूचित जन-जातियों को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं ऐसी सिफारिश नहीं करती। इस लिये दुःख है कि उन्हें छात्रवृत्ति का अनुदान न मिल पायेगा। इस सम्बन्ध मे आगे से कोई भी पत्र व्यवहार बिहार सरकार से करें।

(३) केरल सरकार की परिपाटी :—

अनुसूचित जन जाति तथा उन में से ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों के मामले में "मैट्रिकोत्तर पढ़ाई" (केरल सरकार कल्याण विभाग पत्र संख्या जी० ओ० /रजि० सं० ११४५ दिनांक २०-६-६४ देखें)

(४) मैसूर सरकार की नीति :—

"मंगलोर में दक्षिण कनारा के कैथोलिक एसोशियसन ने विचार प्रकट किया है कि अनुसूचित जन जाति से ईसाई बनने वालों को पिछड़ा वर्ग माना जाय।" (पिछड़ी जाति आयोग की रिपोर्ट पृष्ट २५ जिल्द ३)।

(५) मध्य प्रदेश सरकार की नीति :—

क्रिश्चियन मिशनरी एकटीभीटीज इनक्वायरी कमिटि मध्य प्रदेश, नागपुर के अध्यक्ष डा० एम० बी० नियोगी की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में नीति स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित है (प्रस्ताव संख्या ३१८-७१६ बी० काम दिनांक १४ अप्रैल, १९५४)

इसलिये यह साफ जाहिर है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में कौन रहे इस में कोई भ्रम नहीं रह जाता। निश्चय ही इस में भारतीय क्रिश्चियन नहीं आते हैं।

(६) छठी अनुसूचि के अधीन असम तथा नगालैंड के कबीले क्षेत्र की अनुसूचित जन जातियों के लोग विधान मंडल में आरक्षण में स्थान नहीं चाहते। वे विशिष्ट व्यवहार पा रहे है तथा अधिक से अधिक स्वायाता का उपयोग कर रहे हैं जो भारत के अन्य भाग को नसीब नहीं।

(७) इस तथ्य के होते हुये कि भारतीय क्रिश्चियन लोग अनुसूचित जन-जाति की सूचि में रहने के विरोधी हैं फिर भी सरकार की मौन सहमति तथा जनजातियों की अज्ञानता के कारण भारतीय ईसाई कल्याण विशेषाधिकारों का बड़ा भाग हड़प ले रहे हैं।

(१) अखिल भारतीय सेवायें :—

क्र० सं०	ब्योरा	५.५३ प्रतिशत ईसाइयों का विशेषाधिकार	९४.४७ प्रतिशत अनुसूचित जन जाति का विशेषाधिकार
१.	आइ० ए० एस०/आइ० पी० एस०/ आइ० एफ० एस० इन्डियन फारेस्ट सर्विस दूसरी क्लास । सर्विस	६१%	३९%
२.	विदेशों से प्राप्त छात्रवृति	५९%	४१%

(२) राज्य की सरकारी सेवाएं (जहां ईसाइयों का प्राबल्य है ।)

क्र० सं०	राज्यों के नाम	ईसाई		अनुसूचित जनजाति		अभ्युक्ति
		प्र० स० जन संख्या	विशेषाधिकार	प्र० स० जन संख्या	विशेषाधिकार	
१-	असम	२४.०१	८०	७५.९९	२०	
२-	नागा लैंड	५५.६७	९०	४४ :३	१०	
३-	बिहार	१०.५७	८३.२	८९.४३	१६.८	
४-	ए०जी० बिहार	१०.५७	९२.२	८९.४३	८.०	

(३) मैट्रीकोत्तर छात्रवृतियाँ :—

भारत के सभी राज्यों में ५.५३ — ५२.०० — ९४.४७ — ४८.००

२.६. गत १८ वर्षों की योजना की अवधि में सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा कल्याण कार्यों का संचयी प्रभाव ।

यदि बहुत अनुदारता पूर्वक भी हिसाब लगाया जाता है तो भी आप देखेंगे कि औसतन ७५ प्रतिशत कल्याण फण्ड क्रिश्चियन मिशनों को दिया जा रहा है।

क्र० सं०	श्रोत	व्यय करोड़ों में	कल्याण कार्यों पर खर्च (करोड़ों में)		अभ्युक्ति
			जन जाति	इसाई	
१	भारत सरकार	१५०	१२	१३८	
२	विदेशी ईसाई मिशनों	२७८.६३	—	२७८.६३	
३	ईसाई मिशनों की परि सम्पति	१५०	—	१५०	
	योग		१२	५६६.६१	

अर्थात् कल्याण के कार्य में यदि

५.५३ प्रतिशत ईसाई को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष १६१ रु० खर्च होते हैं तो ६५-४७ प्रतिशत अनुसूचित जन जाति को प्रति वर्ष ७४ पैसे खर्च होते हैं।

अथवा यों कहिए कि अनुसूचित जन जाति के कल्याण पर अगर १ रु० खर्च होता है तो एक ईसाई के कल्याण पर २५५ रु० खर्च हो रहे हैं।

२.७ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९६७

संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जन जाति की सूचि में परिवर्तन होता रहता है। अतः उक्त विधेयक १० जुलाई १९६७ को लोक सभा में प्रविष्ट किया गया। विचार विमर्श के लिए एक संयुक्त समिति को

सुपुर्द किया गया जिसका सदस्य मैं भी था। संयुक्त समिति ने बहुत छान बीन के बाद १७ नवम्बर १९६९ को लोक सभा में अपनी संयुक्त समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश (पृष्ठ २६, पंक्ति ३८ की अनुसूचि २-कंडिका (२ अ) यह भी थी कि—

> "२ अ० कंडिका २ में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने जन जाति आदि मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।"

संयुक्त समिति ने इसे प्रातः सर्व सम्मति से पारित किया था। इसके बाद एक वर्ष तक इसकी बहस लोक सभा में नहीं हुई। भारत के कोने-कोने से प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी पर ईसाई मिशन से दबाव आने लगे कि वे इसका विरोध करें। उन्होंने ५० संसद सदस्यों के हस्ताक्षर से श्रीमती इंदिरा गाँधी को ईसाइयों द्वारा एक स्मारक पत्र दिया कि वे इस सिफारिश का विरोध करें।

ता० १० नवम्बर १९७० तक ३४८ संसद् सदस्यों (३२२ लोक सभा से और २६ राज्य सभा से) के हस्ताक्षरों से मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक स्मारक पत्र दिया कि वे इस सिफारिश का इस लिए समर्थन प्रदान करें कि इसके साथ करीब ३ करोड़ पिछड़ी अनुसूचित जन जातियों के जीवन मरण का सवाल है। १६ नवम्बर १९७० को लोक सभा में बहस शुरु हो गई और उसी दिन नागालैंड एवं मेघालय के मुख्य मंत्री नई दिल्ली में पधारे। १७ नवम्बर १९७० को भारत सरकार की ओर से एक संशोधन आया कि संयुक्त समिति की सिफारिश विधेयक से हटा लिया जाय। भारत के मंत्रि-मंडल में दो ईसाई उपमंत्री तो थे। उन्होंने सरकार के संशोधन का स्वागत किया और संयुक्त समिति की सिफारिश का विरोध किया।

मैं अभी भी अपने देश के संसद् सदस्यों का बड़ा ऋणी हूं जिन्होंने संयुक्त समिति की सिफारिश का खुले आम समर्थन किया और सरकार के संशोधन की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस के संसद् सदस्य भी किसी से पीछे

नहीं रहे और बहुतों ने खुलकर संयुक्त समिति के सिफारिश का समर्थन किया और सरकार के संशोधन का विरोध किया। २४ नवम्बर १९७० को मुझे विधेयक पर बहस करनी थी। उसी दिन सुबह को सरकार की ओर से कांग्रेस सदस्यों को एक सचेतक मिला कि कांग्रेस के सभी सदस्य सरकार के हर संशोधन का साथ दें और अन्य सभी सिफारिशों को जो सरकार के समर्थन के बाहर है, विरोध करें। मैं ने ५५ मिनट तक बहस की और इस में शान्त वातावरण थे। बहस के अन्त में मैं ने इतना ही कहा कि या तो आप संयुक्त समिति की सिफारिश को हटा दें या मुझे इस दुनिया से हटा दें। किसी सदस्य ने यह नहीं चाहा कि मैं अपने जीवन को सरकार के संशोधन पर आहूति चढ़ा दूँ। प्रायः ७५ प्रतिशत सदस्यों ने संयुक्त समिति का साथ दिया और एक ऐसा क्षण आया कि अगर सरकार अपनी जिद्द पर अड़ती तो कांग्रेस के प्रायः सभी सदस्य सरकार के सचेतक की अवहेलना करने के लिये तत्पर थे। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने विधेयक की बहस को स्थगित करना ही उचित समझा और यह आश्वासन दिया गया था कि विधेयक की बहस उसी सत्र के अन्त में की जायगी पर ऐसा नहीं हुआ। २७ दिसम्बर १९७० को लोक सभा भंग हो गयी और आदिवासियों का भविष्य भी अंधकारमय हो गया। यही इसका अन्त है और बीस वर्ष की काली रात के बाद भी आदिवासियों के जीवन में ज्योति नहीं आयी।

स्मरण रहे कि ईसाइयों की ओर से कोई संवैधानिक, युक्ति संगत एवं कोई ठोस बहस नहीं हो सकी। उनकी एक मात्र भाषा थी धमकी कि वे भारतीय संघ से बाहर चले जायेंगे और इसी तरह की धमकी के आधार पर नागालैंड एवं मेघालय जैसे दो ईसाई प्रांतों का निर्माण हुआ। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है किन्तु धर्म के आधार पर न तो कोई मुसलमान प्रांत है और न हिन्दू प्रांत—केवल ईसाई प्रांत है। प्रशासन के ख्याल से अच्छा भी है किन्तु इसे शोषण का हथियार बनाना देश के लिये घातक होगा।

तीसरा अध्याय

कल के जन–जाति

३-१. भूत बताता है कि जन-जातियों का भविष्य कैसा होगा ? हर आदिवासी इसे अच्छी तरह जान ले कि उसके कल्याण के लिये उसे स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। यह बात सही है कि किसी भी समाज का निर्माण देश के विधेयक से नहीं हो सकता । आदिवासियों ने सदा से ही कांग्रेस का साथ दिया और पूर्वी अंचल के ईसाइयों ने तो सदा कांग्रेस का विरोध किया। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिये क्या किया और ईसाइयों के लिये क्या किया - बीस वर्ष की काली रात इसका साक्षी है। मैं स्वयं एक कांग्रेसी हूं और यह मान कर चलता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी में किसी समाज को बर्बाद करने की क्षमता है, उसी पार्टी के दिमाग से उस लड़खड़ाते आदिवासी समाज का निर्माण भी हो सकता है।

याद रहे कि नागालैंड के ४४.३३ प्रतिशत निरीह आदिवासी और मेघालय के ५५.८७ प्रतिशत असहाय आदिवासी, अपनी संस्कृति सभ्यता, परम्परा और आदि धर्म को ज्यादे दिनों निभा नहीं सकेंगे धर्म निर्पेक्षता तो है लेकिन आदिवासियों के लिये नहीं।

इतिहास के पन्ने बतायेंगे कि जो अंग्रेज राज्य के १५० वर्षों में ईसाई मिशनरियो से इतना धर्म परिवर्तन नहीं हुआ जितना आजादी मिलने पर गत २३ वर्षों में हुआ। १९४७ ई० में मणिपुर में ७ प्रतिशत जन जाति ईसाई थे लेकिन यह संख्या आज बढ़कर ७० प्रति० हो गयी। आजादी अगर मिली है तो ईसाई मिशिनरियों को। भारत के अन्य भागों में धर्म परिवर्तन के कार्य में काफी प्रगति हुई है। उनका दावा है कि संविधान की धारा १५(१) के अनुसार धर्म, कुटुम्ब, भाषा, जाति, लिंग उत्पति के स्थान या इन में से किसी के

आधार पर किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये। लेकिन भेद भाव तो इनके आधार पर नहीं है। संविधान में तो ईसाई लोगों के लिये अनुसूचित जन जाति की सूचि में कोई स्थान ही नहीं है। गृह मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के आधार पर तो धर्म, कुटुम्ब, जाति के सम्बन्ध में भी भेद भाव किये जा सकते हैं लेकिन वह अनुसूचित जातियां एवं जन जातियों के लिये केवल। गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति संख्या ४२/२१/८६ एन॰ जी॰ एस॰ नई दिल्ली, दिनांक १३ १९५० पढ़ें।

संविधान की १५(१) धारा की आड़ में तो केवल धर्म परिवर्तन ही हो रहा है। लेकिन धर्म निर्पेक्ष देश में धर्म परिवर्तन ही धर्म निर्पेक्षता के प्रतिकूल है। धर्म निर्पेक्षता तो धार्मिक विषय को लेकर साम्प्रदायिक तनाव को बन्द करने लिये बनायी गयी हैं। मैं पाठकों का ध्यान रोमन कैथोलिक मिशन की प्रत्रिका 'ट्रिबुन' जून १९७० की उस पंक्तियों की ओर खींचना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने अपनी नियत की खुले आम चर्चा की है उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जन-जाति की सूचि में न रहने देने से उनके धर्म प्रकाशन एवं प्रासरण में बाधा होगी। क्या अनुसूचित करण धर्म प्रचार के लिये हुआ है? अगर हाँ, तो धर्म परिवतंन करने वाले हरिजनों की अनुसूचित जाति की सूचि में क्यों नहीं रखा गया? उसका इस प्रकार उल्लेख है।

"यह संशोधन बिल संसद की बहस के लिये रखा जायगा और अगर बिल पास हो गया तो नतीजा बहुत ही बुरा होगा। खीस्तीय आदिवासी छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेंगे, सुरक्षित जगहों, सीटों को नहीं पा सकेंगे और पाये हुए जगहों से भी हाथ धो बैठेंगे। इस का दुष्परिणाम हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन पर ही नहीं पड़ेगा लेकिन मसीही जीवन पर भी गहरा धक्का पड़ेगा। मसीही धर्म प्रकाशन या प्रसारण में भी अवरोध होगा।"

ग्राज भारत के ग्रादिवासी काफी कमजोर हो चुके हैं। उनके लिये जमीन सम्बन्धी विशेष कानून भी बने हैं कि जिससे ग्रादिवासियों की जमीन को गैर ग्रादिवासी न ले सकें किन्तु इनका प्रतिपालन नहीं हो सका ग्रौर उन की सारी जमीनें लूट ली गयीं। कितने ग्रादिवासी ग्राज ग्रपनी जमीन को जिस के हाथ में बेचें सस्ते दाम पर ग्राज उन्हीं के यहां नौकर हैं। कितने ऐसे हैं जो जमीन के मालिक है किन्तु उसकी पैदावार का उपभोग कोई ग्रौर व्यक्ति कर रहे हैं। कितने ग्रादिवासी जमीन से बेदखल हो गये ग्रौर हो रहे हैं। सरकार का ध्यान उनकी ग्रोर नहीं जाता है क्यों कि ग्रौरों की भांति वे खुरापात करना नहीं जानते। जंगलों में रहने वाले ग्रादिवासी ग्राज जंगलों के फलफूल भी नहीं खा सकते सरकार की ग्रोर से ग्राज ग्रादिवासियों को ग्रनेक सुविधाएं खेती की सुधार के लिये है लेकिन जमीन मालिक के नाम वे सुविधाएं मिलती ग्रवश्य हैं किन्तु उसका उपयोग जमीन को खरीदने वाला करता है। बड़े बड़े कारखानों के लिये ग्रादिवासियों ने ग्रपनी जमीन दी ग्रौर उसके बदले में न उन्हें नौकरी मिली ग्रौर न पूरा हरजाना ही मिला। जो सकता वही एक धक्का दे जाता है। इसे देखने वाला कोई नहीं। ग्रादिवासियों का कल्याण कल्पित है ग्रौर दिन-ब-दिन उन का जीवन ग्रौर भी विषाद पूर्ण होता जा रहा है। पाठकों को पता है कि किस तरह ग्रादिवासी के हक को ग्रन्य लोग मार रहे हैं। शिक्षा दीक्षा में उपलब्ध राशि जो ज्यादा शिक्षित ईसाई वर्ग हैं उन्हीं को मिल रही है। नौकरी में सभी जगहों में ग्राज ईसाई ही ग्रपना कुल ग्रधिकार जमा रहे हैं। ग्राज तो कुछ सुविधा मिलती है नाम मात्र के लिये ही सही किन्तु कल क्या होगा जब ग्रादिवासियों की सारी सुविधाएँ वापस ले ली जायेंगी ? कल्याण कार्य तो समिति ग्रवधि के लिये ही रहेगा।

दुःख का विषय तो यह है कि जब हम काफी कमजोर हो जायेंगे ग्रौर हमारे पास ग्रपने को सम्हालने का कोई साधन नहीं रहेगा तो

सिवा ईसाइ मिशिनरियों के गिरजा घर को छोड़ कर और कोई दरवाजा खटखटाने के लिये नही रहेगा। आदिवासी समाज एक कहानी बन कर रह जायगा। आज आप देखोगे कोई मंदिर नही गिर रहा है, न मस्जिद टूट रहा है और न गिरजा घर गिर रहे हैं किन्तु आदिवासियो के देवी तेवताओ की पूजा करने की जगह या तो क्रूर हाथों से जोत ली गयीं या तो श्मशान बन गयीं। हां, यह भी बता देना आवश्यक होगा कि अंग्रेजो के जमाने में आदिवासियों के धर्म का काफी ख्याल किया जाता था और १९३१ तक तो आदि धर्म से जनगणना में अंकित था, किन्तु धीरे-धीरे आदि धर्मावलम्बियों को हिन्दु और आदि धर्म की जगह हिन्दु धर्म लिखा जा रहा हें जिससे आदियासियों का नाम निशान भी नही रहे। आदिवासी हिन्दू धर्म के पहले के धर्म के आदि धर्म को मानते हैं। वे हिन्दू नही हैं। अगर हैं तो हिन्द् संस्था के किस वर्ण विभाग में उन्हें रखा जायगा अर्थासू ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य या सूद्र। आदिवासी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो आदि धमं भी सुरक्षित रहे। यही समय की मांग है। अपने अधिकार के लिये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अभी जैसा हो रहा है कि पजातंत्रता है न्याय है, धर्म निर्पेक्षता है, संविधान की सुरक्षा है, सार्थकता है मानवता भी है किन्तु आदिवासियों के लिये नही।

आज भारत की सीमा पर बंगला देश में जो नर संहार हो रहा है वह कोई नया कांड नहीं है। हमारे भारत के अन्दर में भी एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, जिसकी तुलना अगर बंगला देश से की जाए तो अत्यक्ति नही होगी। आदिवासी भी कुचले जा रहे हैं इसलिये नही कि वे आवाज उठाते हैं किन्तु इसलिये कि वे जीना चाहतें हैं।

चौथा अध्याय
समाप्ति

अंत में हम भारत की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारत के आदिवासी किसी भी दृष्टि कोण से कम आजाद प्रिय एवं देश भक्त नहीं हैं। हम किसी के प्रति अन्याय नही चाहते हैं और न किसी का हक छीनना चाहते हैं। हम तो केवल न्याय चाहते हैं। संविधान में दिये गये हक का पूरा हिस्सा हमें चाहिये। अगर सरकार चाहे तो ईसाइ भाईयों को भी पिछड़े ईसाइ के रूप में पूरी सहायता दे लेकिन हमारे नाम की सुविधाएँ उन को न मिले। हमें एक शानदार नागरिक की तरह जीवित रहने के लिये एक मात्र साधन है कि जिस तरह अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति, सभ्यता परम्परा और धर्म को बचाने के लिये ऐसा प्रबन्ध है कि जो हिन्दू और सिख धर्म को छोड़ कर किसी अन्य धर्म को ग्रहण कर लेता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाता है आदिवासियों के लिये भी इसी प्रकार के संशोधन से उनका गला बच सकता है।

अंत में हम भारत के आदिवासियों को इस लिये बधाई देते हैं कि उन्होंने बीस बर्ष के शोषण को अदम्य उत्साह और धैर्य के साथ सहन किया। मेरा, बिश्बास है, भारत की लाड़ली एवं जनप्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधान मंत्री, भारत सरकार, आदिवासियों को उनका उचित और संवैधानिक अधिकार देंगी और उनके लड़खड़ाते आदिवासी समाज को अवश्य बचायेंगी।

जय हिन्द। जय आदिवासी ॥ जय हिन्द ।।।

पायनियर प्रिंटर्स नई दिल्ली-५ से मुद्रित

''बीस वर्ष की काली रात'' पुस्तिका का लेखन एवं प्रकाशन पंखराज साहेब बाबा कार्तिक उराँव द्वारा कराया गया था। इस पुस्तिका में कार्तिक बाबा द्वारा, देश की आजादी के बाद, वर्ष 1950 से 1970 (लगभग 20 वर्ष) के मध्य जंगलों एवं पहाड़ों के बीच रह रहे परम्परागत आदिवासियों के बारे में भारत देश की जनता एवं सरकार के समक्ष, समाज की दुर्दशा तथा संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा के शिकार दबे—कुचले लोगों की आवाज को शिखर तक पहुँचाने तथा रौशनी दिखाने का कार्य किया गया है।

प्रस्तुत स्वरूप, पंखराज साहेब बाबा कार्तिक उराँव के विचारों को जानने एवं समझने की इच्छा रखने वाले समाजनों के लिए मूल पुस्तिका का छायाप्रति आप पाठकों के लिए प्रस्तुत है।

— अद्दी अखड़ा।